यस एकाईबाट कार्यक्रम माग तथा सुचीकृत हुनको लागि २०८०/०५/३१ सुचना प्रकाशित भएकोमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन एकार्इ, खुमलटार, ललितपुरको प.सं. 2080/081 (यो.), च.नं. 89, को पत्रबाट मौरी जोनको थप क्षेत्र विस्तारका लागि स्विकृति भएको हुँदा उक्त थप भएको क्षेत्रहरु बाट यस आ.व. 2080/081 मा सुचिकृत तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्न लागि इच्छुक कृषि समूह/सहकारी/संस्था/समितिहरुले तपसिलमा उल्लेखित आवश्यक कागजात संग्लन राखी **मिति २०80/06/30 गते कार्यालय समय भित्र** यस परियोजना कार्यान्वयन एकार्इको कार्यालय लमजुङ (मनाङ) मा तोकिएको ढाँचा अनुसार निवेदन/आवेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ।



🕿०६६-५२१४७६

🖂 pmamp.piu.lamjung@gmail.com

 piulamjung.pmamp.gov.np



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **जोन संचालित वाली वस्तुको विवरण** | 2080/05/31 को सुचनामा मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्रहरु | **आ. व 2080/081 मा मौरी जोन थप भएको क्षेत्रहरु** | **कैफियत** |
| स्थानीय तहको विवरण | वडा नं. | **स्थानीय तहको विवरण** | **वडा नं.** |
| 1 | मौरी | सुन्दरवजार न.पा. लमजुङ | 1, 3, 4, 5, ६, 8, 9, 10 र ११ | सुन्दरवजार न.पा. लमजुङ | 2 र ७ |  |
| दोर्दी गा.पा. लमजुङ | 4 | दोर्दी गा.पा. लमजुङ | 1, 2 र 8 |
| क्व्होलासोथार गा.पा. लमजुङ | 1, २, 3, 6, 8 र ९ | राइनास न.पा. लमजुङ | 6, 8 र 9 |
| मध्यनेपाल न.पा. लमजुङ  | 1 देखि 10 |  |  |
| वेसिशहर न.पा. लमजुङ | 1, २, 3, 4, 5, 9, 10 र ११ |  |  |
| दुधपोखरी गा.पा. लमजुङ | 3, 4, 5 र ६ |  |  |

**तपसिल**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यक्रम संख्या | वार्षिक विनियोजित रकम (रुलाखमा) | आवेदन पेश गर्न सक्ने सम्वन्धित वाली/वस्तुको जोन क्षेत्रका आवेदकहरु | कैफियत |
| 1 | जोन संचालित बालि/वस्तुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम  | 3 | 15 | मनाङ जिल्लाको स्याउ र आलु र लमजुङ जिल्लाको अलैंची, तरकारी र मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्र । | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५0 प्रतिशत लागत साझेदारी हुने । |
| 2 | जोन संचालित बालि/वस्तुका लागि प्राङ्गारीक मल, जैविक मल तथा जाइम लगायत सामाग्रीहरुमा सहयोग  | 2 | 10 |
| 3 | जोन संचालित बालि/वस्तुको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ,बजारिकरण तथा ढुवानीमा सहयोग  | 3 | 6 |
| 4 | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | 2 | 34 |
| 5 | सिंचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत संभार  | 15 | 45 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ८५ प्रतिशत लागत साझेदारी हुने ।जोन संचालित वाली/वस्तुको सिंचाइ प्रयोजनका लागि हुनुपर्ने। |
| 6 | साना तथा मझौला सिंचार्इ सहयोग (मर्मत समेत) | २० | 40 |
| 7 | चक्लावन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग | ३ | 30 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीहुने।  |
| 8 | प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायीक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान | 1 | 6 | प्राविधिक शिक्षालयको न्युनतम २५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने प्रतिवद्दता हुनुपर्ने। |
| 9 | सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकार्इ तथा प्रदर्शनी केन्द्र | 4 | 16 | परियोजना कार्यान्वयन म्यानुल-२०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार |
| 10 | कृषि वजार भण्डारण पुर्वाधार वा प्राथामिक प्रशोधन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना  | 3 | 30 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीहुने। |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यक्रम संख्या | वार्षिक विनियोजित रकम (रुलाखमा) | आवेदन पेश गर्न सक्ने सम्वन्धित वाली/वस्तुको जोन क्षेत्रका आवेदकहरु | कैफियत |
| 1 | जोन संचालित बालि/वस्तुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम  | 3 | 15 | मनाङ जिल्लाको स्याउ र आलु र लमजुङ जिल्लाको अलैंची, तरकारी र मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्र । | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५0 प्रतिशत लागत साझेदारी हुने । |
| 2 | जोन संचालित बालि/वस्तुका लागि प्राङ्गारीक मल, जैविक मल तथा जाइम लगायत सामाग्रीहरुमा सहयोग  | 2 | 10 |
| 3 | जोन संचालित बालि/वस्तुको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ,बजारिकरण तथा ढुवानीमा सहयोग  | 3 | 6 |
| 4 | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | 2 | 34 |
| 5 | सिंचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत संभार  | 15 | 45 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ८५ प्रतिशत लागत साझेदारी हुने ।जोन संचालित वाली/वस्तुको सिंचाइ प्रयोजनका लागि हुनुपर्ने। |
| 6 | साना तथा मझौला सिंचार्इ सहयोग (मर्मत समेत) | २० | 40 |
| 7 | चक्लावन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग | ३ | 30 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीहुने।  |
| 8 | प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायीक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान | 1 | 6 | प्राविधिक शिक्षालयको न्युनतम २५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने प्रतिवद्दता हुनुपर्ने। |
| 9 | सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकार्इ तथा प्रदर्शनी केन्द्र | 4 | 16 | परियोजना कार्यान्वयन म्यानुल-२०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार |
| 10 | कृषि वजार भण्डारण पुर्वाधार वा प्राथामिक प्रशोधन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना  | 3 | 30 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीहुने। |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | कार्यक्रम संख्या | वार्षिक विनियोजित रकम (रुलाखमा) | आवेदन पेश गर्न सक्ने सम्वन्धित वाली/वस्तुको जोन क्षेत्रका आवेदकहरु | कैफियत |
| 1 | जोन संचालित बालि/वस्तुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम  | 3 | 15 | मनाङ जिल्लाको स्याउ र आलु र लमजुङ जिल्लाको अलैंची, तरकारी र मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्र । | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५0 प्रतिशत लागत साझेदारी हुने । |
| 2 | जोन संचालित बालि/वस्तुका लागि प्राङ्गारीक मल, जैविक मल तथा जाइम लगायत सामाग्रीहरुमा सहयोग  | 2 | 10 |
| 3 | जोन संचालित बालि/वस्तुको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ,बजारिकरण तथा ढुवानीमा सहयोग  | 3 | 6 |
| 4 | जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग | 2 | 34 |
| 5 | सिंचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत संभार  | 15 | 45 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ८५ प्रतिशत लागत साझेदारी हुने ।जोन संचालित वाली/वस्तुको सिंचाइ प्रयोजनका लागि हुनुपर्ने। |
| 6 | साना तथा मझौला सिंचार्इ सहयोग (मर्मत समेत) | २० | 40 |
| 7 | चक्लावन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग | ३ | 30 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीहुने।  |
| 8 | प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायीक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान | 1 | 6 | प्राविधिक शिक्षालयको न्युनतम २५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने प्रतिवद्दता हुनुपर्ने। |
| 9 | सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकार्इ तथा प्रदर्शनी केन्द्र | 4 | 16 | परियोजना कार्यान्वयन म्यानुल-२०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार |
| 10 | कृषि वजार भण्डारण पुर्वाधार वा प्राथामिक प्रशोधन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना  | 3 | 30 | कार्यालयको तर्फवाट अधिकतम ५० देखि ८५ प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीहुने। |

**निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु**

1. सम्बन्धित निकायमा कृषि समूह/सहकारी/संस्था/समिति र कृषि फर्म दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, अघिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र समुह/सहकारीको हकमा अडिट रिपोट/प्रतिवेदन।
2. परियोजनावाट निर्दिष्ट ढांचाको नविकरण हुने/सुचिकृत हुने सम्वन्धी निवेदन/आवेदन र पुर्ण रुपले भरीएको तथ्यांक फारम।
3. यस भन्दा अघि सिफारिस संलग्न नगरेकाको हकमा सम्वन्धित जोन कमाण्ड क्षेत्र भित्र रही मौरी व्यवसाय गरेकाले सुचिकृतका लागि अनुरोध गरिएको व्यहोरा भएको सम्वन्धित पालिका/वडा कार्यालय वा कृषि शाखाको सिफारीस पत्र।
4. आवेदक संस्थामा आवद्द सदस्यहरुले/संस्थाले मौरी व्यवसाय संग सम्वन्धित क्रियाकलापहरु संचालन गरेको जग्गाको स्वामित्व खुल्ने कागजातको विवरण वा भाडाको जग्गा भएमा कम्तिमा ५ बर्षको सम्झौतानामा।
5. आवेदक/संस्थामा आवद्द सदस्यहरुको नागरीकता वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।
6. समुह/सहकारी/साझेदारी संस्थाको हकमा कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि।

(अजय अधिकारी)

वरिष्ठ कृषि अधिकृत